न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ रेनवाल , जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – सुनिता मीणा R.A.S.
प्रार्थना पत्र संख्या :– 6/2022 पुराना, 157/2023 नया दायर तारीख :– 17.01.2022

1. घीसू सिंह पुत्र कल्याण सिंह जाति राजपूत निवासी प्रतापपुरा तहसील कि.रेनवाल जिला जयपुर राज0

प्रार्थी

बनाम

1. विक्रम सिंह पुत्र गोविन्द सिंह जाति राजपूत निवासी पीपरोली वाया सरवाड जिला अजमेर राज0।
2. पुष्पा कंवर पत्नि गोविन्द सिंह जाति राजपूत निवासी पीपरोली वाया सरवाड जिला अजमेर राज0।
3. संजू कंवर पुत्री गोविन्द सिंह जाति राजपूत निवासी पीपरोली वाया सरवाड जिला अजमेर राज0।
4. मोहन सिंह पुत्र गिरधारी सिंह जाति राजपूत निवासी मंडूकरा जिला नागौर राज0
5. राजू देवी पत्नि नानूराम जाति जाट निवासी प्रतापपुरा तहसील कि.रेनवाल जिला जयपुर राज0
6. तहसीलदार तहसील कि.रेनवाल जिला जयपुर
7. सब रजिस्ट्रार तहसील कि.रेनवाल

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :– श्री लोकेश शर्मा , विद्ववान अधिवक्ता प्रार्थी
श्री हनुमान जाखड, विद्ववान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 5

निर्णय

निर्णय दिनांक 2/7/25

1. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि आराजी खसरा न0 254 रकबा 0.6323 है0 , खसरा न0 256 रकबा 0.0506 है0 , खसरा न0 257 रकबा 0.7208 खसरा न0 298/255 रकबा 0.1138 है0 , खसरा न0 299/258 रकबा 0.2403 है0 , खसरा न0 300/258 रकबा 1.7577 है0 किता 6 कुल रकबा 3.5155 है वाकै ग्राम प्रतापपुरा पटवार हल्का मुण्डोती तहसील कि.रेनवाल जिा जयपुर राज0 में स्थित है। जो कि वादी व प्रतिवादी स0 1 ल 5 की सयुक्त खातेदारी में दर्ज है । जिसमें वादी का 1/3 हिस्सा है।शेष खातेदारी हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार पक्षकारान के नाम दर्ज है। वादी व प्रतिवादी सं 1 ल 5 विवादग्रस्त आराजी को अपने हिस्से अनुसार काबिज रहकर काश्त करतें आ रहे है तथा मौके पर आपसी सहमति अनुसार आराजी को विभाजन कर रखा है वादी के हिस्से में विवादग्रस्त आराजी के पश्चिमी दिशा की आराजी हिस्से में आयी हुई है जिस पर वह काबिज रहकर काश्त करता आ रहा है विवादग्रस्त आराजी मध्य में गोविन्दसिंह के वारिसा विक्रम सिंह वगैरह की आराजीयात है तथा पूरब दिशा में गिरधारी सिंह का हिस्सरा थी जो उसके प्रतिवादी सं0 5 को बेचान करने पर उक्त हिस्सें पर वह काबिज काश्त है विवादग्रस्त आराजी का विधिक रूप से विभाजन नही हो रखा है तथा बिना विधिक विभाजन करवाये ही प्रतिवादीगण आराजीयात को अजनबी व्यक्तियों को बेचान करने वा आमादा है जिससे विवादग्रस्त आराजी के कब्जे काश्त को लेकर विवाद होने की संभावना बनी रहती है वादी ने अपने हिस्से का आराजी को काफी मेहनत व रूपया खर्च कर उपजाउ एंव उन्नत व विकसित कर रखी है। वादी द्वारा प्रतिवादीगण को कई बार विधिक रूप से विभाजन करने हेतु कहा परन्तु उनके द्वारा

उपखण्ड अधिकारी किशनगढ रेनवाल

बार बार आश्वासन देते रहे। इसी क्रम में दिनांक 28.11.2021 को वादी द्वारा प्रतिवादीगण सं0 1 ल 5 को जब वादग्रस्त भूमि का विधिक रूप से विभाजन करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण ने इंकार कर दिया और वादग्रस्त भूमि का बिना विधिक विभाजन करवाये मनचाही जगह से बेचान करने की धमकी दी । इसलिए वादी को अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए यह वाद व प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।

2. प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज पंजिका कर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थी सं0 1 लगायत 4 बावजूद सूचना हाजिर नही हुये अतः उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अप्रार्थी संख्या 5 की ओर हनुमान जाखड उपस्थित है। जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसका संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है। यह कि वादी द्वारा मान्य न्यायालय के समक्ष वाद पेश करना स्वीकार है परन्तु सफलता नही मिल सकती है। उक्त आराजीयात का राजस्व ग्राम प्रतापपुरा पटवार हल्का मुण्डोमी में होंना स्वीकार है परन्तु उक्त आराजीयात पर वादी का कब्जा काश्त नही है। वाद पत्र का मद न0 4 गलत है वादी गलत तरीके से विभाजन करवाना चाहता है उक्त आराजीयात के पूर्व पश्चिम टुकडे होने चाहिए खातेदार अपने हिस्से की जमीन को बेंच सकता है कब्जे काश्त इको लेकर कोई विवाद नही है वादी ने अपने अपनी जमीन को कोई उपजाउ नही किया है । वादी खेंती किसानी करने वाला नही है राजस्थान पुलिस में नोकरी करता था उक्त जमीन पर वादी का कोई कब्जा काश्त नही रहा है दिनांक 28.11.2021 का वाकया वादी के गलत दर्शाया है वादी ने खातेदारो से विभाजन करने की बात नही रकी। वादी मनचाही जगह पर कब्जा लेना चाहता है। वाद पत्र के मद न0 5 गलत है खातेदार अपनी जमीन का बिना विभाजन करवाये भी बेचान कर सकते है वादी का कोई कब्जा काश्त नहीं है प्रतिवादीगण को पाबन्द करवाने का कोई अधिकारी नही है। अतिरिक्त कथन में अंकित किया कि प्रार्थी का उक्त आराजीयात पर कभी काश्त नही रहा है। प्रार्थी हमेशा बहार रहा है राज0 पुलिस में नोकरी करता था अब जबरन मनचाही जगह कब्जा करना चाहता है जबकि मौके पर उक्त आराजीयात का प्रतिवादीगण ने पूर्व पश्चिम टुकडिया बनाकर कब्जा कर रखा है परन्तु प्रार्थी अपने पुलिसिया रोब से मनमाफीक जगह पर कब्जा करना चाहता है जो सम्भव नही है।

3. उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई ।

5. बहस उभय पक्षकारान पर मनन किया, पत्रावली का अवलोकन किया, प्रार्थी ने घोषणा विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश किया विवादग्रस्त आराजीयात में प्रार्थी रिकोर्डडे खातेदार काश्तकार है। जिसे विभाजन करवाने का अधिकार प्रार्थी को है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित है। अप्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि को बेचान , निर्माण , रहन कर दिया जाता है तो वादग्रस्त आराजीयात में वाद में बहुलता तथा विलष्टता बढेगी। प्रार्थी के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तथा प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी।

वादभूमि के विक्रय होने से प्रार्थी को नए पक्षकारों के साथ वाद लड़ना होगा, वाद व प्रार्थना पत्र के नए पक्षकार जुड़ेगे, वाद भूमि के विक्रय व खुर्दबुर्द होने से प्रार्थीगण वादभूमि में अपने हक हिस्सा से वंचित हो जायेगे जिस कारण प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति व असुविधा होगी।

वाद भूमि के विक्रय से वाद विलष्टता व वाद बहुलता की संम्भावना है जिससे पक्षकारान को असुविधा व क्षति की संम्भावना है इसलिए वाद भूमि में दौरानें वाद यथास्थिति कायम रखना न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हस्तगत प्रार्थना पत्र में प्रथम दृष्टया मामला, अपूरणीय क्षति व सुविधा का संतुलन तीनों बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में साबित है, अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साबित होने के कारण स्वीकार योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ रेनवाल

धीरू सिंह बनाम विक्रम सिंह
प्रार्थना पत्र सं0 06/22

क्रियात्मक आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मूल वाद के निस्तारण तक स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि अप्रार्थीगण आराजी खं0नं0 254,256,257,298/255, 299/258 ,300/258 वाके ग्राम प्रतापपुरा पटवार हल्का मुण्डोती तहसील कि0रेनवाल जिला जयपुर राज. में प्रार्थीगण के हिस्सें की कब्जें काश्त उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की मजाहमत/बाधा/व्यवधान उत्पन्न न करे, ना ही वादग्रस्त भूमि को रहन, बैय, मुतकिल, हस्तान्तरण, बेचान, दान करे तथा ना ही राजस्व अभिलेखों में परिवर्तन करवाये तथा मौके व रिकोर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

निर्णय दिनांक 2/7/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

([illegible]) RAS
उपखण्ड अधिकारी
कि0रेनवाल

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ रेनवाल

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
किशनगढ़-रेनवाल